संख्या: 21/2016/1552/26-2-2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 जून, 2016

विषयः- समाजवादी पेंशन योजना की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था एवं अंतर्विभागीय समन्वय के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-5/15/405/26-2-2015, दिनांक 12 फरवरी, 2015, शासनादेश संख्या-23/2015/2194/26-2-2015, दिनांक 14 सितंबर, 2015 एवं शासनादेश संख्या-26/2015/2259/26-2-2015, दिनांक 30 सितंबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से समाजवादी पेंशन योजना के लाभार्थी परिवारों की शिक्षा, साक्षरता एवं स्वास्थ्य से संबंधित उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- बेसिक शिक्षा विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के वर्ष 2014-15 के समस्त लाभान्वित परिवारों का सर्वेक्षण कर उक्त परिवारों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल में नामांकन तथा 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को चिन्हित् कर उनका विवरण नामांकन मॉड्यूल तथा साक्षरता मॉड्यूल में ऑनलाईन डाटा प्रविष्टि करने की कार्यवाही की गयी है। इसी प्रकार उपस्थिति मॉड्यूल के मास्टर डाटा में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों एवं नामांकित छात्रों का विवरण अपलोड करने का कार्य किया गया है।

3- अद्यावधिक सूचना के अनुसार समाजवादी पेंशन योजना के वर्ष 2014-15 के 33.35 लाख लाभार्थियों में से 32.95 लाख लाभार्थियों का सर्वेक्षण कर इन परिवारों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक विवरण की प्रविष्टि नामांकन मॉड्यूल में की गयी है। इसी प्रकार 31.93 लाख परिवारों का सर्वेक्षण कर 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को चिन्हित् कर उनके विवरण की प्रविष्टि साक्षरता मॉड्यूल में की गयी है। उपस्थिति मॉड्यूल के मास्टर डाटा में अद्यतन जानकारी के अनुसार 4,58,208 शिक्षकों का विवरण अपलोड किया गया है और इनमें से 3,47,879 के विवरण को खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

से सत्यापित किया गया है। इसी प्रकार 1,51,73,243 छात्रों के विवरण की प्रविष्टि उपस्थिति मॉड्यूल के मास्टर डाटा में की गयी है और 1,25,12,832 के विवरण को खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित किया गया है।

4- पूर्व में निर्गत शासनादेशों में बेसिक शिक्षा विभाग को समाजवादी पेंशन योजना की अनुश्रवण व्यवस्था हेतु डाटा इंट्री के भुगतान हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं की गयी थी। विभिन्न जनपदों में तैनात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा डाटा इंट्री के लंबित बिलों के संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह अनुरोध किया गया है कि उन्हें भी इस मद में समाज कल्याण विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जाय। इस संबंध में निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग अथवा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि जनपद स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

5- समाजवादी पेंशन योजना एक सशर्त धनराशि अंतरण योजना है और इस योजना की सफलता कम्प्यूटरीकृत अनुश्रवण व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर है। समाजवादी पेंशन योजना के वर्ष 2015-16 के लाभार्थी परिवारों में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों तथा 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को चिन्हित् करने का कार्य वर्ष 2016-17 में संपादित की जा रही है तथा इनके विवरण की प्रविष्टि नामांकन मॉड्यूल एवं साक्षरता मॉड्यूल में की जानी है। इसी प्रकार नव नियुक्त/स्थानांतरित शिक्षकों तथा कक्षा-1 व 6 तथा अन्य कक्षाओं में नव प्रवेशित छात्रों के विवरण की प्रविष्टि भी उपस्थिति मॉड्यूल के मास्टर डाटा में की जानी होगी। यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी।

6- अतएव सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन मॉड्यूल एवं साक्षरता मॉड्यूल में की गयी प्रत्येक प्रविष्टि एवं उपस्थिति मॉड्यूल में शिक्षकों एवं छात्रों के डिजिटली हस्ताक्षरित प्रत्येक प्रविष्टि हेतु रू0 1/- (रू0 एक मात्र) की दर से समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के प्रशासकीय व्यय मद से धनराशि जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका उपयोग देयकों के भुगतान हेतु किया जायेगा तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या: 21/2016/1552 (1)/26-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
4. निदेशक, साक्षरता, उ0प्र0, लखनऊ
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0
9. विभागीय पुस्तिका

आज्ञा से,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।